



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2015/पौष 29, 1936

No. 40]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2015/PAUSA 29, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 42(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक, उप-धारा (4) और उप-धारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 151, धारा 152 की उप-धारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उप-धारा (1) और धारा 170 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 16 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु किसी कंपनी ने नियम 15 के अधीन प्ररूप **डीआईआर-12** रजिस्ट्रार के पास पहले ही दायर कर दिया है, की दशा में, ऐसी कंपनी से पदत्याग करने वाला विदेशी निदेशक किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या व्यवसायरत लागत लेखाकार या व्यवसायरत कंपनी सचिव या कंपनी का किसी अन्य निवासी निदेशक को प्ररूप **डीआईआर-11** पर हस्ताक्षर करने और उसे त्यागपत्र के कारण की सूचना देते हुए उसकी ओर से फाइल करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।”

[फा. सं. 01/9/2013-सीएल.V (पार्ट-II)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 259(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 671(अ), तारीख 18 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2015

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), sub-section (4) and clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 16, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case a company has already filed **Form DIR-12** with the Registrar under rule 15, a foreign director of such company resigning from his office may authorise in writing a practising chartered accountant or cost accountant in practice or company secretary in practice or any other resident director of the company to sign **Form DIR-11** and file the same on his behalf intimating the reasons for the resignation.”.

[F. No. 01/9/2013-CL.V(Part-II)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended by notification number G.S.R. 671(E), dated the 18th September, 2014.